भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2195

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष और हर्बल उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

2195. श्री गणेश सिंह:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से आयुष और हर्बल उत्पादों के निर्यात में हुई वृद्धि तथा आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुष एक्साइल) के निर्यात संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन और वैश्विक ब्रांडिंग की दिशा में योगदान और भारतीय मसाला बोर्ड के साथ इसके सहयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2030 तक बाजार विविधीकरण, मूल्यवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी पहलों सहित आयुष संबंधी उत्पादों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु सरकार की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख निर्यात बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता, पादप-स्वच्छता (फाइटोसैनिटरी) और भारी धातु मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के औषधीय पौधे उगाने वाले किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और प्रसंस्करण इकाइयों को, विशेषकर सतना-मैहर-चित्रकूट (विंध्य) क्षेत्र में, आयुष निर्यात मूल्य शृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) द्वारा संधारित आंकड़ों के अनुसार, आयुष एवं हर्बल उत्पादों के निर्यात में पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 से आयुष एवं हर्बल उत्पादों के निर्यात में हुई वृद्धि का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

आयुष निर्यात संवर्धन परिषद् (आयुष एक्सिल) ने 25.05.2026 को भारतीय मसाला बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कार्यात्मक खाद्य पदार्थों, न्यूट्रास्यूटिकल्स, हर्बल अर्क तथा मूल्यवर्धित आयुष एवं मसाला-आधारित उत्पादों के क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व को सुदृढ़ करने हेतु एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करना है। यह समझौता ज्ञापन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय औषधीय मसालों एवं आयुष-आधारित उत्पादों के निर्यात संवर्धन, बाजार विकास तथा गुणवत्ता मानकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी कार्य करेगा।

(ख): आयुष मंत्रालय एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसका नाम "आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी सहित) के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन" है, का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय भारतीय आयुष औषधि निर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को आयुष उत्पादों

एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार, विकास एवं मान्यता को सुगम बनाता है; हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुष के बाजार विकास को प्रोत्साहित करता है; विदेशों में आयुष अकादमिक चेयर की स्थापना के माध्यम से शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा प्रणालियों के प्रति जागरूकता एवं रुचि को बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करता है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन के लिए 27 देश-स्तरीय समझौता ज्ञापनों, 16 आयुष पीठ-स्तरीय समझौता ज्ञापनों तथा 57 संस्थान स्तर के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग): भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच), जो आयुष मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है, आयुष औषधियों के लिए भेषजसंहिता मानक विकसित करता है तथा फॉर्म्युलरी विनिर्देश निर्धारित करता है, जो उनकी पहचान, शुद्धता एवं सामर्थ्य के निर्धारण के लिए आधिकारिक संहिताओं के रूप में कार्य करते हैं। इन मानकों का अनुपालन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार अनिवार्य है। ये गुणवत्ता मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों के अनुसार भारी धातुओं की अनुमेय सीमाएँ भी निर्धारित करते हैं। भारत में निर्मित, विक्रय एवं भंडारित की जाने वाली आयुष औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। इन भेषजसंहिता मानकों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होता है कि औषधियाँ पहचान, शुद्धता एवं सामर्थ्य के संबंध में उच्चतम गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं। पीसीआईएम एंड एच आयुष औषधियों के लिए अपीलीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है तथा आयुष औषधियों की गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए औषधि नियामक प्राधिकरणों, औषधि विश्लेषकों एवं अन्य हितधारकों हेतु मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं परीक्षण पद्धतियों पर नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।

2. आयुष मंत्रालय आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत आयुष फार्मेसियों एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को क्रमशः विश्व स्वास्थ्य संगठन की अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) तथा राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) जैसे उच्च गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

3. इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय ने आयुष उत्पादों के गुणवत्ता आश्वासन एवं प्रमाणन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

- नियामक निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, सीडीएससीओ में आयुष वर्टिकल राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों तथा सीडीएससीओ के साथ संयुक्त निरीक्षणों के माध्यम से पात्र आयुष औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के औषधि उत्पाद प्रमाणपत्र (डब्ल्यूएचओ-सीओपीपी) जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।

- आयुष मानक चिह्न और आयुष प्रीमियम चिह्न आयुष औषधियों को भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा क्रमशः निर्धारित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अन्य-पक्षीय मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

- आयुष गुणवत्ता चिह्न कार्यक्रम को आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में आयुष उत्पादों एवं सेवाओं के गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करने, उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाने तथा आयुष उत्पादों एवं सेवाओं की वैश्विक पहचान एवं प्रति स्पर्धात्मकता में सुधार करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया।

- आयुर्वेद और योग को आईएसओ/टीसी249 की अनुभागीय समिति-2 के अंतर्गत शामिल किया गया है, ताकि आयुर्वेद एवं योग से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों, शब्दावली, सामग्री एवं अर्क की गुणवत्ता और सुरक्षा, तैयार उत्पादों, आयुर्वेद आधारित आहार अनुपूरकों, योग उपकरणों आदि पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

(घ): मध्य प्रदेश के औषधीय पौधों के उत्पादकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) एवं प्रसंस्करण इकाइयों, विशेष रूप से सतना-मैहर-चित्रकूट (विंध्य) क्षेत्र की इकाइयों को आयुष निर्यात मूल्य शृंखला में एकीकृत करने हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष पहल नहीं की गई है।

हालांकि, औषधीय पौधों (एमपी) के व्यापार हेतु एक मंच उपलब्ध कराने और आसान बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों के प्रचार एवं विपणन के लिए "ई-चरक" मोबाइल एप्लिकेशन तथा वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। "ई-चरक" एप्लिकेशन विभिन्न स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है तथा यह पूरे भारत के 25 हर्बल बाजारों से 100 औषधीय पौधों का पखवाड़ावार बाजार मूल्य भी उपलब्ध कराता है।

औषधीय पौधों की खेती/संग्रहण करने वाले किसानों एवं संग्राहकों को बाजार से जोड़ने के लिए, प्रमुख कंपनियों की विस्तृत अपेक्षाओं (क्रय विभाग के संबंधित व्यक्ति के संपर्क विवरण सहित) को औषधीय पौधों की खेती को समर्थन प्रदान करने वाली सभी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों तथा क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) के साथ साझा किया जाता है।

संलग्नक -I

आयुष एवं हर्बल उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2014 से हुई वृद्धि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**वर्ष**	**आयुष एवं हर्बल उत्पाद मूल्य (अमेरिकी डॉलर में)**	**प्रतिशत वृद्धि (लगभग)**
1.	2014-15	354681884	-
2.	2015-16	363997122	3%
3.	2016-17	401684817	10%
4.	2017-18	456120626	14%
5.	2018-19	448072586	-2%
6.	2019-20	428075006	-4%
7.	2020-21	539878089	26%
8.	2021-22	612124787	13%
9.	2022-23	628541727	3%
10.	2023-24	651172561	4%
11.	2024-25	689341412	6%
12.	2025-26	638715319	-7.34%

स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस)

नोट: वृद्धि प्रतिशत (%) = (नया मूल्य − पुराना मूल्य/पुराना मूल्य) × 100